"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2013—भाद्र 15, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निर्मला कृष्णानी पति श्री अविनाश कृष्णानी, उम्र 31 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 53, गुप्ता किराना के सामने, के. पी. एस. स्कूल के पास, सुन्दर नगर भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम कु. निर्मला माखिजा पिता श्री नानक राम माखिजा दर्ज है तथा मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम निर्मला कृष्णानी दर्ज है. यह कि मेरा विवाह दिनांक 19-2-2006 को श्री अविनाश कृष्णानी पिता श्री ईश्वर दास कृष्णानी के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ है. विवाह उपरान्त मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती मुस्कान कृष्णानी पति श्री अविनाश कृष्णानी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती मुस्कान कृष्णानी पति श्री अविनाश कृष्णानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती निर्मला माखिजा, निर्मला कृष्णानी पिता-नानक राम माखिजा निवासी-प्लाट नं. 53 गुप्ता किराना के सामने के. पी. एस. स्कूल के पास सुन्दर नगर, भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती मुस्कान कृष्णानी पिता-अविनाश कृष्णानी निवासी-प्लाट नं. 53 गुप्ता किराना के सामने के. पी. एस. स्कूल के पास सुन्दर नगर, भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शिखा मरकाम पति श्री महेशराम मरकाम, उम्र 39 वर्ष, निवासी-ग्राम-टांगापानी, पो.-बिरगुड़ी, थाना-सिहावा, तह.-नगरी, जिला-धमतरी (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में कक्षा 5वीं से 12वीं तक की अंकसूचियों में मेरा नाम कुमारी सुखिया नेताम पिता पीलाराम नेताम दर्ज है तथा मेरे बीएचएससी व एमएचएससी के अंकसूचियों में कु. शिखा नेताम पिता पीलाराम नेताम दर्ज है विवाहोपरान्त मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती शिखा मरकाम पति श्री महेशराम मरकाम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती शिखा मरकाम पति श्री महेशराम मरकाम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

कु. सुखिया नेताम
पिता-श्री पीलाराम नेताम
निवासी-ग्राम-देवरी (बालाजी)
पो.-धनेसरा
तहसील-नरहरपुर
जिला-कांकेर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती शिखा मरकाम
पति-श्री महेशराम मरकाम
हाल निवासी-ग्राम-कृषि कालोनी
क्वा. नं. - जी-5, अजिरमा
पो.-राघवपुरी, थाना-जयनगर
तह.-सुरजपुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.)
स्थायी निवासी-ग्राम-टांगापानी
पो.-बिरगुड़ी, तह.-नगरी
जिला-धमतरी (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आर. के. सूर्यवंशी पिता श्री श्यामराव सूर्यवंशी, निवासी-क्वा नं. 4-सी, सड़क नं. 66, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 10-5-1996 है तथा जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम कुमारी श्रेया अंकित है तथा उसके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में उनका नाम श्रेया सूर्यवंशी अंकित है. यह कि मैं अपनी पुत्री के नाम के आगे सरनेम जोड़कर श्रेया सूर्यवंशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को श्रेया सूर्यवंशी पिता आर. के. सूर्यवंशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

कुमारी श्रेया
पिता-श्री आर. के. सूर्यवंशी
निवासी-क्वा नं. 4-सी, सड़क नं. 66
सेक्टर 6, भिलाई नगर
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रेया सूर्यवंशी
पिता-श्री आर. के. सूर्यवंशी
निवासी-क्वा नं. 4-सी, सड़क नं. 66
सेक्टर 6, भिलाई नगर
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विष्णु राम देवांगन पिता स्व. के. एस. देवांगन, उम्र 45 वर्ष, निवासी-सड़क नं. 22, ब्लाक नं. 3 बी, नंदिनी नगर, तह.-धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र नंदिनी नगर में क्रसिंग प्लांट में वरिष्ठ तकनिशियन के पद पदस्थ हूं. यह कि मेरे हायर सेकण्डरी तक के शाला अभिलेख तथा भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विष्णु राम पिता केहर दर्ज है. यह कि मैं अपने नाम के आगे सरनेम जोड़कर तथा पिता का सही नाम सुधार कर विष्णु राम देवांगन पिता श्री के. एस. देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विष्णु राम देवांगन पिता श्री के. एस. देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
विष्णु राम पिता-केहर निवासी- सड़क नं. 22 ब्लाक नं. 3बी, नंदिनी नगर तहसील-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	विष्णु राम देवांगन पिता-स्व. के. एस. देवांगन निवासी- सड़क नं. 22 ब्लाक नं. 3बी, नंदिनी नगर तहसील-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामजी गायकवाड आत्मज श्री बी. आर. गायकवाड, , उम्र 55 वर्ष, निवासी-मकान नं. 415/15, सड़क नं. 10, आशीष नगर, (पश्चिम) रिसाली भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूं तथा मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र से संबंधित समस्त दस्तावेजों जैसे वेतन स्लीप, गेट पास, पैन कार्ड, ड़ाईविंग लाइसेन्स तथा राशन कार्ड में रामजी गायकवाड दर्ज है तथा मेरे हायर सेकण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र (दसवीं) की अंकसूची में भूलवश रामजी गायकवार दर्ज हो गया है. यह कि मैं अपने सरनेम को परिवर्तित कर रामजी गायकवाड रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रामजी गायकवाड पिता श्री बी. आर. गायकवाड के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
रामजी गायकवार पिता-श्री बी. आर. गायकवाड निवासी- मकान नं. 415/15 सड़क नं. 10, आशीष नगर रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)	रामजी गायकवाड पिता-श्री बी. आर. गायकवाड निवासी- मकान नं. 415/15 सड़क नं. 10, आशीष नगर रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव, जिला-कोंडागांव(छत्तीसगढ़)

कोंडागांव, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्रमांक/544.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र अधिकारी मर्दापाल के अंतर्गत बीट हेमर श्री बी. के. ठाकुर, वनपाल परिसर रक्षक बोथा बीट हेतु प्रदाय किया गया था, जो गुम हो गया है.

इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली जिला कोंडागांव में दर्ज की जा चुकी है. वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर भंडार से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले, तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस बीट हेमर को अनाधिकृत रूप से रखते हुये अथवा उपयोग करते हुये पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.



के. के. खेलवार,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास), सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक/वनो/संघ/2013/पुनर्गठन/280.— छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-125/व. सं./2001 दिनांक 11 सितम्बर 2012 के तहत् वन मण्डल गरियाबंद का गठन किया गया है, जिसमें विद्यमान वनमण्डल उदन्ती एवं पूर्व रायपुर का भौगोलिक क्षेत्र शामिल है. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2 दिनांक 20 फरवरी 2009 के द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को "उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व" अधिसूचित किया गया है. विनिर्दिष्ट क्षेत्र का भाग भी गरियाबंद जिले के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है.

गरियाबंद वनमण्डल तथा उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के गठन के उपरान्त गरियाबंद वनमण्डल तथा उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों के हित में यह आवश्यक हो गया कि विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उदन्ती एवं पूर्व रायपुर को सम्मिलित कर नवीन जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद का गठन किया जावे.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2/सह/15, दिनांक 20 अप्रैल 2001 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 16(3) के तहत जिला यूनियन उदन्ती एवं पूर्व रायपुर को लेख किया गया कि स्वयं को आदेश के साथ संलग्न जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, उदन्ती एवं पूर्व रायपुर के पुनर्गठन की योजना 2012 के अनुरूप पुनर्गठित करें.

उक्त आदेश के परिपालन में दोनों ि ज सहकारी संघों द्वारा संयुक्त रूप से विशेष आमसभा का आयोजन किया गया. आयोजित विशेष आमसभा में दोनों जिला वनोपज सहकारी संघों के प्रतिनिधियों द्वारा उदन्ती जिला वनोपज संघ एवं पूर्व रायपुर जिला वनोपज संघ का अस्तित्व यथावत् रखने हेतु सहमति दी गई. बैठक में उपस्थित शासकीय प्रतिनिधियों द्वारा पुनर्गठन के पक्ष में विचार व्यक्त करते हुये उपस्थित जिला यूनियन के प्रतिनिधियों को तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हितों में तथा पृथक-पृथक रहने पर वैधानिक रूप से आने वाली कठिनाईयों के संबंध में समझाया गया. दोनों जिला यूनियन के प्रतिनिधि उदन्ती एवं पूर्व रायपुर जिला यूनियन को सम्मिलित करने हेतु सहमत नहीं हुये.

चूंकि दोनों जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उदन्ती एवं पूर्व रायपुर के प्रतिनिधियों को सोसायटी के पुनर्गठन की प्रतिस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जा चुका है. गरियाबंद जिले के गठन उपरान्त प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टि को ध्यान रखते हुये वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गरियाबंद वनमण्डल का गठन किया गया है तथा पूर्व रायपुर वनमण्डल का कार्यक्षेत्र गरियाबंद जिले एवं वनमण्डल में विस्तरित है. अत: जनहित एवं जिला यूनियन के उचित प्रबंधन की दृष्टि से विद्यमान जिला वनोपज सहकारी यूनियन उदन्ती एवं पूर्व रायपुर जिला वनोपज सहकारी संघ को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उदन्ती की 22 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां तथा पूर्व रायपुर की 48 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, गरियाबंद बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है.

विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, पूर्व रायपुर एवं उदन्ती की प्रचलित पंजीकृत उपविधियों के कार्यक्षेत्र को तत्स्थानी नई सोसायटी अर्थात् जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, गरियाबंद में शामिल कर दोनों जिला यूनियनों हेतु पंजीकृत उपविधियां जो कि एक ही समान है, उसे नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ गरियाबंद हेतु मान्य किया जाता है तथा जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, उदन्ती एवं पूर्व रायपुर के पुनर्गठन की योजना 2012 के साथ संलग्न उपविधि में दो जिला वनोपज संघों के कार्यक्षेत्र को शामिल कर उसे नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद हेतु मान्य किया जाता है. यह उपविधि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के अनुकूल है.

अतएव छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2/सह/15 दिनांक 20-04-2001 द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं ए. के. सिंह, कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-9 की उपधारा-(1) अंतर्गत जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, गरियाबंद को रजिस्ट्रीकृत करता हूं और उसकी उप-विधि को भी अंतिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत करता हूं.

इस संस्था का पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/04, दिनांक 22-07-2013 होगा.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक/वनो/संघ/2013/पुनर्गठन/281.— छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-125/व. सं./2001 दिनांक 11 सितम्बर 2012 के तहत् वन मण्डल सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर का गठन किया गया है.

नवीन वनमण्डलों के गठन के उपरान्त सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर वनमण्डल के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों के हित में यह आवश्यक हो गया कि विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित दक्षिण सरगुजा, पूर्व सरगुजा तथा उत्तर सरगुजा को पुनर्गठित कर सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर का गठन किया जावें.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2/सहं/15, दिनांक 20 अप्रैल 2001 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 16(3) के तहत् जिला यूनियन उत्तर सरगुजा, दक्षिण सरगुजा एवं पूर्वी सरगुजा को लेख किया गया कि स्वयं को आदेश के साथ संलग्न जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, उत्तर सरगुजा, दक्षिण सरगुजा एवं पूर्वी सरगुजा के पुनर्गठन की योजना 2012 के अनुरूप पुनर्गठित करे.

उक्त आदेश के परिपालन में तीनों जिला वनोपज सहकारी संघों द्वारा संयुक्त रूप से विशेष आमसभा का आयोजन कर पुनर्गठन की योजना 2012 लागू करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

उक्त पुनर्गठन स्कीम अनुसार

(अ) विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित दक्षिण सरगुजा (आंशिक) की 10 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं पूर्वी सरगुजा (आंशिक) की 4 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित सरगुजा बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है.

(ब) विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उत्तर सरगुजा (आंशिक) की 10 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं दक्षिण सरगुजा (आंशिक) की 20 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित सूरजपुर बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है. एवं

(स) विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उत्तर सरगुजा (आंशिक) की 24 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं पूर्वी सरगुजा (आंशिक) की 20 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलरामपुर बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है.

तत्स्थानी नई सोसायटियों अर्थात् उपरोक्त तीनों जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर की प्रस्तावित उपविधियां छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के अनूकूल है.

अत: मैं , ए. के. सिंह, कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2/सह/15 दिनांक 20-04-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-9 की उपधारा-(1) अंतर्गत क्रमश:, **जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर** को रजिस्ट्रीकृत करता हूं और उनकी प्रस्तावित उप-विधियों को भी अंतिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत करता हूं. इन संस्थाओं का पंजीयन क्रमांक निम्नानुसार रहेगा :-

(अ) सरगुजा : पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/01 दिनांक 22-07-2013

(ब) सूरजपुर : पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/02 दिनांक 22-07-2013

(स) बलरामपुर : पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/03 दिनांक 22-07-2013

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक/वनो/संघ/2013/पुनर्गठन/282.— छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-125/व. सं./2001 दिनांक 11 सितम्बर 2012 के तहत् वन मण्डल सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर का गठन किया गया है.

नवीन वनमण्डलों के गठन के उपरान्त सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर वनमण्डल के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों के हित में यह आवश्यक हो गया कि विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित दक्षिण सरगुजा, पूर्व सरगुजा तथा उत्तर सरगुजा को पुनर्गठित कर सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर का गठन किया जावें.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2/सह/15; दिनांक 20 अप्रैल 2001 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 16(3) के तहत जिला यूनियन उत्तर सरगुजा, दक्षिण सरगुजा एवं पूर्वी सरगुजा को लेख किया गया कि स्वयं को आदेश के साथ संलग्न जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, उत्तर सरगुजा, दक्षिण सरगुजा एवं पूर्वी सरगुजा के पुनर्गठन की योजना 2012 के अनुरूप पुनर्गठित करें.

उक्त आदेश के परिपालन में तीनों जिला वनोपज सहकारी संघों द्वारा संयुक्त रूप से विशेष आमसभा का आयोजन कर पुनर्गठन की योजना 2012 लागू करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

उक्त पुनर्गठन स्कीम अनुसार

(अ) विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित दक्षिण सरगुजा (आंशिक) की 10 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं पूर्वी सरगुजा (आंशिक) की 4 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित सरगुजा बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है.

(ब) विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उत्तर सरगुजा (आंशिक) की 10 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं दक्षिण सरगुजा (आंशिक) की 20 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित सूरजपुर बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है. एवं

(स) विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उत्तर सरगुजा (आंशिक) की 24 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं पूर्वी सरगुजा (आंशिक) की 20 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलरामपुर बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है.

तत्स्थानी नई सोसायटियों अर्थात् उपरोक्त तीनों जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर की प्रस्तावित उपविधियां छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के अनूकूल है.

अत: मैं, ए. के. सिंह, कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2/सह/15 दिनांक 20-04-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-9 की उपधारा-(1) अंतर्गत क्रमशः, **जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर** को रजिस्ट्रीकृत करता हूं और उनकी प्रस्तावित उप-विधियों को भी अंतिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत करता हूं. इन संस्थाओं का पंजीयन क्रमांक निम्नानुसार रहेगा :-

(अ) सरगुजा : पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/01 दिनांक 22-07-2013

(ब) सूरजपुर : पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/02 दिनांक 22-07-2013

(स) बलरामपुर : पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/03 दिनांक 22-07-2013

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक/वनो/संघ/2013/पुनर्गठन/283.— छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-125/व. सं./2001 दिनांक 11 सितम्बर 2012 के तहत् वन मण्डल सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर का गठन किया गया है.

नवीन वनमण्डलों के गठन के उपरान्त सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर वनमण्डल के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों के हित में यह आवश्यक हो गया कि विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित दक्षिण सरगुजा, पूर्व सरगुजा तथा उत्तर सरगुजा को पुनर्गठित कर सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर का गठन किया जावें.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2/सह/15, दिनांक 20 अप्रैल 2001 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 16(3) के तहत् जिला यूनियन उत्तर सरगुजा, दक्षिण सरगुजा एवं पूर्वी सरगुजा को लेख किया गया कि स्वयं को आदेश के साथ संलग्न जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, उत्तर सरगुजा, दक्षिण सरगुजा एवं पूर्वी सरगुजा के पुनर्गठन की योजना 2012 के अनुरूप पुनर्गठित करें.

उक्त आदेश के परिपालन में तीनों जिला वनोपज सहकारी संघों द्वारा संयुक्त रूप से विशेष आमसभा का आयोजन कर पुनर्गठन की योजना 2012 लागू करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

उक्त पुनर्गठन स्कीम अनुसार

(अ) विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित दक्षिण सरगुजा (आंशिक) की 10 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं पूर्वी सरगुजा (आंशिक) की 4 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित सरगुजा बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है.

(ब) विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उत्तर सरगुजा (आंशिक) की 10 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं दक्षिण सरगुजा (आंशिक) की 20 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित सूरजपुर बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है. एवं

(स) विद्यमान जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उत्तर सरगुजा (आंशिक) की 24 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं पूर्वी सरगुजा (आंशिक) की 20 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को शामिल कर तत्स्थानी नयी सोसायटी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलरामपुर बनाया जाना और उसे पंजीकृत किया जाना है.

तत्स्थानी नई सोसायटियों अर्थात् उपरोक्त तीनों जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर की प्रस्तावित उपविधियां छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के अनुकूल है.

अत: मैं , ए. के. सिंह, कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2/सह/15 दिनांक 20-04-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-9 की उपधारा-(1) अंतर्गत क्रमशः, **जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर** को रजिस्ट्रीकृत करता हूं और उनकी प्रस्तावित उप-विधियों को भी अंतिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत करता हूं. इन संस्थाओं का पंजीयन क्रमांक निम्नानुसार रहेगा :-

(अ) सरगुजा : पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/01 दिनांक 22-07-2013

(ब) सूरजपुर : पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/02 दिनांक 22-07-2013

(स) बलरामपुर : पंजीयन क्रमांक/का. सं./पंजीयन/2013/03 दिनांक 22-07-2013

ए. के. सिंह,
कार्यकारी संचालक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक/उपंद्./परिसमापन/2013/694.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2118 दिनांक 10-10-96 के द्वारा गायत्री मसाला अद्योग सहकारी समिति मर्या., पदमनाभपुर, पंजीयन क्रमांक -2562 का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर, दुर्ग से पाटन-सहकारिता विस्तार अधिकारी होकर चूले जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती हेमलता देशमुख, सहकारिता विस्तार अधिकारी को गायत्री मसाला अद्योग सहकारी समिति मर्या., पदमनाभपुर, पंजीयन क्रमांक-2562 परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-7-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया.

डी. एल. राम,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कोण्डागांव (छ. ग.)

कोण्डागांव, दिनांक 26 जुलाई 2013

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/स. प. को./परिसमापन/2013/324.--- कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./परि./2013/225, दिनांक 09-05-2013 द्वारा बस्तर कृषि विकास एवं उद्यान सहकारी समिति मर्यादित विश्रामपुरी को कारण बताओ पत्र सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69(2) के तहत प्रेषित कर अवगत कराया था कि अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अकार्यशील होने के कारण निष्क्रिय स्थिति में है तथा सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर साक्ष्य सहित समिति के कारोबार की संचालन प्रक्रिया की स्थिति से अवगत करावें अन्यथा की स्थिति में परिसमापन में लाया जावेगा.

चूंकि उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के अन्तर्गत समिति के कारोबार प्रक्रिया को निरन्तर बनाये रखने हेतु साक्ष्य सहित प्रमाण-पत्र अथवा कोई भी निवेदन प्रस्तुत नहीं करने से मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त सहकारी समिति भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रिय तथा अकार्यशील है.

अतएव मैं, अशीष कुमार शर्मा सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला कोण्डागांव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्र./एफ.-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर बस्तर कृषि विकास एवं उद्यान सहकारी समिति मर्यादित विश्रामपुरी को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूं तथा श्री बी. मजुमदार सहकारिता विस्तार अधिकारी विश्रामपुरी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 26-07-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की जा रही है.

आशीष कुमार शर्मा,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.

